

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सीवरेज कार्य का निरीक्षण

रतलाम 27 जुलाई । मंगलम सिटी मेन रोड कॉलोनी में 600 मीटर लंबी खोदी गई सीवरेज पाइप लाइन कार्य का निरीक्षण नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश चंद्र व्यास के साथ कर मरम्मत कार्य शीघ्र करने हेतु ठेकेदार के इंजीनियर को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ठेकेदार के इंजीनियरों को निर्देशित किया कि शीघ्र मरम्मत करवायें जिससे रोड कॉलोनी वासियों के सुचारु आवागमन के लिए के लिए उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर कॉलोनीवासी एवं समिति पदाधिकारी सर्वश्री प्रकाश चंद्र व्यास हंसराज छाबड़ा (गोलू), वीरेंद्र यादव ने निगम आयुक्त श्री झारिया को कॉलोनी की पानी की समस्या को भी अवगत कराया, जिस पर आयुक्त श्री झारिया ने सिटी इंजीनियर श्री व्यास से शीघ्र कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। श्री व्यास ने कॉलोनी की साफ-सफाई एवं कॉलोनी में स्थित बगीचों की एक बार सफाई पर भी चर्चा की जिससे कॉलोनी स्वच्छ एवं सुंदर रहे।

तेजी से होगा अब सिटी फोरलेन निर्माण का कार्य निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा स्थल का निरीक्षण

रतलाम 27 जुलाई । महाराजा सज्जन सिंह प्रतिमा से कानवेंट स्कूल तिराहे तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निरीक्षण कर मास्टर प्लान अनुसार सड़क की चौड़ाई की पूर्ति हेतु आवास व दुकानों की बाउंड्री को निर्माण कार्य के उपयोग के लिए लिया।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रहवासी व दुकानदारों ने भी 4 लेन के कार्य में अपनी स्वेच्छा से सहयोग कर बाउण्ड्री की भूमि उपलब्ध कराते हुए अपनी मंशा प्रकट करते हुए कहा कि शहर के विकास में वे सहयोग देने को तैयार हैं। इस तरह 4 लेन निर्माण के कार्य में अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

आयुक्त श्री झारिया ने महाराजा सज्जन सिंह प्रतिमा से कानवेंट स्कूल तिराहे तक चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जो दुकान बिना अनुमति चल रही है उनको हटाने व सड़क निर्माण कार्य को तेजी लाये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचंद्र व्यास, उपयंत्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

16 स्थानों पर होगा आज टीकाकरण

रतलाम 27 जुलाई। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 27 जुलाई सोमवार को 8 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण), 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण), 3 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड प्रथम डोज सिर्फ शिक्षा विभाग से संबंधित चिन्हित हितग्राहियों हेतु व 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कौवैक्सीन प्रथम व सेकेण्ड डोज हेतु (टोकन वितरण) नियत किया गया है जहां प्रातः 9 बजे से निःशुल्क टीकाकरण किया जायेगा।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है प्रथम व द्वितीय डोज हेतु नियत वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर टीका लगवाये।

कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु शिव नगर प्राथमिक स्कूल, मांगलिक भवन सुभाष नगर, जावरा फाटक अण्डर ब्रीज के पास, जमातखाना

शैरानीपुरा, मौमिनपुरा मस्जिद हॉल, माध्यमिक स्कूल बिरियाखेड़ी, अशोक नगर मदरसा, ईश्वर नगर स्कूल, कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु कम्युनिटी हॉल अलकापुरी, माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, कोविशिल्ड प्रथम डोज सिर्फ शिक्षा विभाग से संबंधित चिन्हित हितग्राहियो हेतु शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय दो बत्ती, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय मोहन नगर, नया कलेक्टर कार्यालय (सिर्फ विदेश जाने वालो के लिए) तथा कौवैक्सीन प्रथम व सेकेण्ड डोज हेतु आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर व डीआरएम ऑफिस दो बत्ती पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 27 जुलाई को 97 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 27 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 27 जुलाई मंगलवार को 97 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

27 जुलाई सोमवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 51635, काम्पेक्टर सूखा कचरा 24560, काम्पेक्टर गीला कचरा 21220 किलो इस तरह कुल 97415 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना जुर्माने के रूप में 8200 की राशि वसूली

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 27 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 07 जुलाई को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर भानुप्रताप पूनम विहार कालोनी पर 2000, कमलेश कोली स्टेशन रोड थाने के सामने, मोहम्मद रफीक हरमाला रोड, लक्की कार डेकोर व सहज कार डेकोर महू रोड पर 1000-1000, गौरव लोकेन्द्र भवन रोड, अजमल स्टेशन रोड, सरफराज दो बत्ती, मोहम्मद सलीम कलाईगर रोड पर 500-500, कमलाबाई घांस बाजार, शब्बीर हुसैन महू रोड बस स्टैण्ड पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान व स्पॉट फाईन दल के श्री मनोज टांक द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं.

6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम द्वारा अब तक 4594 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 27 जुलाई | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 26 जुलाई तक 2051 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 4594 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 27 जुलाई | नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

1150 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 27 जुलाई | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 27 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1150 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 27 जुलाई को

घांस बाजार, माणक चौक, चौमुखीपुल आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 27 जुलाई । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो0 नं0 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो0 नं0 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो0 नं0 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त किया गया है। आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करना, वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्यवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधन, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्च, पेट्रोमेक्स, तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घण्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाई, वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना, वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना, अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना, आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना, तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 27 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 27 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता
के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत
वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित
सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों
में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को
हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व
सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं
ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को
हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/27.07.2021/न.पा.निगम, रतलाम.